न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामाँ जिला डीग
इजलाश श्री **सुनील कुमार झिंगोनिया** आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी कामाँ

मुकदमा नं0 40/2023
–दौलतराम पुत्र भिक्कन, जाति कलार, निवासी पाई तहसील जुरहरा, जिला डीग

प्रार्थी

बनाम

–शिवचरन पुत्र भिक्कन जाति कलार निवासी ग्राम पाई
–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, कामाँ जिला डीग राजस्थान।

अप्रार्थीगण

उपस्थित **अधिवक्ता**
1– श्री बृजलाल प्रार्थी अधिवक्ता
2– पैरोकार सरकार

अन्तर्गत धारा–111, 128, 136
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956

निर्णय

दिनांक 20.05.2024

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया कि पूर्व के साविक आराजी खसरा नम्बर 932/0.32, 933/0.29 हैक्टर वाके ग्राम पाई तहसील कामाँ में स्थित है । जिनमें से आराजी खसरा नम्बर 932/0.32 हैक्टर प्रार्थी की कब्जे काश्त व खातेदारी का एंव आराजी खसरा नम्बर 933/0.29 हैक्टर अप्रार्थी नं. 1 की कब्जे काश्त व खातेदारी का नम्बर है । भू. प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रार्थी के पूर्व के साविक खसरा नम्बर 932 का नया नम्बर 2633/1030 रकवा 0.32 हैक्टर बनाया गया एवं अप्रार्थी नं0 1 के पूर्व के साविक खसरा नम्बर 933 का नया नम्बर 1029/ रकवा 0.22 हैक्टर बनाया गया एव अप्रार्थी नं0 1 के पूर्व के साविक खसरा नम्बर 933 का नया नम्बर 1029/0.22 बनाकर जाकर हाल नये नम्बरान का जो नजरी नक्शा बनाया गया है । वह कतई गलत पूर्व साबिक खसरा 932 व 933 के (पुराने) नक्शा एवं प्रार्थी नं0 1 के पुराने व हाल कब्जा के विपरीत जाकर बनाया गया है । जिसकी जानकारी प्रार्थी को दिनांक 14.09.2023 को पटवारी हल्का से हाल नक्शा की नकल प्राप्त करने पर भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा हाल बनाये गये नजरी नक्शा से प्रार्थी को सख्त हक तलफी है। विधि वजह प्रार्थी जरिये अदालत भू.–प्रबन्ध विभाग द्वारा हाल खसरा नम्बर 2633/1030 व 1029 को जो नजरी नक्शा बनाया गया है उसे पूर्व के साविक खसरा नम्बर 932 व 933 के पेश कर्दा (पुराना) नक्शा के मुताबिक दुरूस्त करा पाने का अधिकारी है। अप्रार्थी नं. 1 भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा पूर्व के साविक खसरा नम्बर 932 व 933 के नये क्रमशः 2633/1030 व 1029 नम्बर कायम कर जो गलत नजरी नक्शा बनाया है उस नक्शा के आधार पर अप्रार्थी नं. 1 प्रार्थी के कब्जेशुदा रकबा में जबरदस्ती लट्ठ व ताकत के बल पर मदाखलत व मजाहमत कर प्रार्थी को जबरन बेदखल कर कब्जा करने की फिराक में जिसकी बाबत अप्रार्थी नं. 1 ने दिनांक 18.09.2023 को ऐलानिया धमकी दी है। यदि अप्रार्थी नं. 1 अपने इस धमकी भरे इरादे में कामयाब हो गया तो प्रार्थी को नुकसान अजीम होगा विधि वजय प्रार्थी अप्रार्थी नं. 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है कि विवादित आराजी मुत0 के मौका व कब्जा की यथास्थिति बनाये रखे एवं विवादित आराजी मुत0 के संबंध में ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे हकूक प्रार्थी जायल हो। शेष वजूहात वक्त बहस जुबानी अर्ज किये जायेगें। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा पूर्व के साविक खसरा नम्बर 932

पूर्व के साविक खसरा नम्बर 932 व 933 के नये नम्बर कायम कायम करते हुए जो नजरी नक्शा बनाया गया है उसको पूर्व के साविक खसरा नम्बर 932/933 के नक्शा के मुताबिक हाल नजरी नक्शा में दुरस्ती किये जाने के आदेश फरमाये।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया । आर्थी तहसीलदार कामां ने अपने पत्र कमाक/एल0आर0 2023/2528 दिनांक 29.12.2023 के द्वारा जबाब पेश किया कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2069—2072 खाता सं. 232 आराजी खसरा नम्बर 932/0.32 किस्म सैराबी दौलतराम पुत्र भिक्कन जाति कलार सा. पाई खातेदार दर्ज रिकार्ड है एवं खाता संख्या 567 पर आराजी खसरा नम्बर 933/0.29 किस्म बारानी प्रथम शिवचरन पुत्र भिक्कन जाति कलार सा.पाई खातेदार दर्ज रिकार्ड है। अतः साविक नक्शा शीट में निम्नानुसार दर्ज दर्शाये गये है।

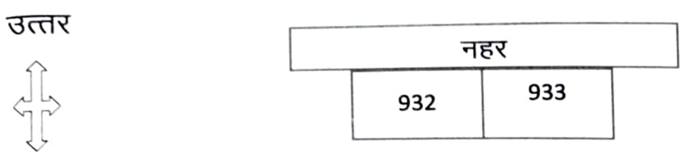

भू—प्रबन्ध विभाग के द्वारा आराजी खसरा नम्बर 932/0.32 व 933/0.29 के हाल नम्बर 1029/0.22 किस्म चाही 2 व 1030/0.39 किस्म चाही बनाये गये तथा नवीन नक्शा शीट भू—प्रबन्ध विभाग के द्वारा दर्शाये गये है।

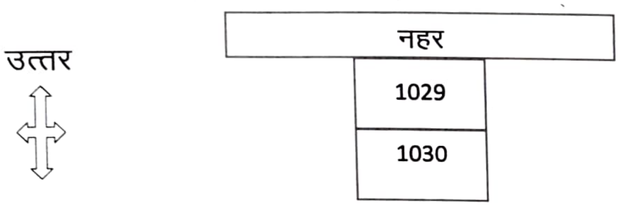

उक्त नक्शा शीट में सेग्रीगेशन करते समय पटवारी द्वारा निम्नानुसार तरमीम की गयी।

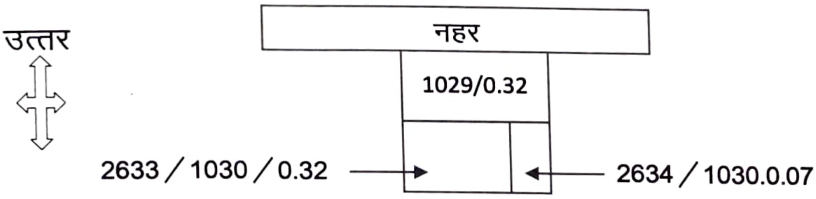

उक्त नजरी नक्शा व हाल जमाबन्दी संवत 2074—77 के खाता सं. 670 आराजी खसरा नम्बर 1029/0.22 व 2634/1030/0.07 किता 2 रकबा 0.29 शिवचरन पुत्र भिक्कन जाति कलार सा. पाई खातेदार दर्ज रिकार्ड है। व आ0ख0नं0 2633/1030/0.32 दौलतराम पुत्र भिक्कन जाति कलार निवासी पाई खातेदार दर्ज रिकार्ड है ।

मौका देखा गया, मौके पर आराजी खसरा नम्बर 932 व 933 के आस—पास के खसरा नम्बर के काश्तकारों से जानकारी ली, उपस्थित काश्तकारों ने बताया कि साविक आराजी खसरा नम्बर 932/0.32 पर दौलतराम पुत्र भिक्कन जाति कलार सा.पाई व आराजी खसरा नम्बर 933/0.29 पर शिवचरन पुत्र भिक्कन जाति कलार सा.पाई का कब्जा काश्त लगभग 15 साल से लगातार रहा है। जिसका नजरी नक्शा निम्न प्रकार है।

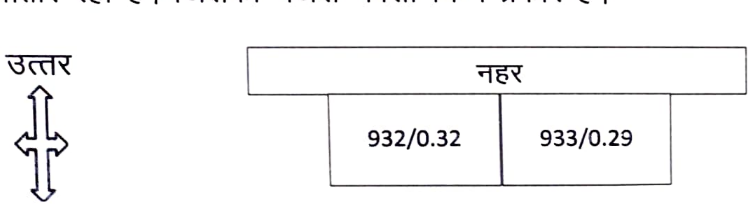

इस सम्बन्ध में भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा बनाये गये पुराने आराजी खसरा नम्बर 932 933 संयुक्त खसरा नम्बर में से बनाये गये हाल खसरा नम्बर 1029/0.32, 1030/0.39 था पटवार हल्का के द्वारा की गयी तरमीत को निरस्त करते हुये निम्नानुसार नक्शा शीट शुद्धि किया जाना उचित होगा। जिसका नजरी नक्शा निम्न प्रकार है

नहर		
2633/1030 0.32	2634/1030 0.07	1029/0.22

मौका अनुसार व गत रिकार्ड अनुसार प्रार्थी दौलतराम पुत्र भिक्कन जाति कलार सा.पाई को पश्चित दिशा में आराजी खसरा न. 2633/1030/0.32 तथा शिवचरन पुत्र भिक्कन जाति कलार सा.पाई का आराजी खसरा नम्बर 2634/1030/0.07 तथा 1029/0.22 किता 2 रकबा 0.29 पूर्व दिशा मे शुद्ध किया जाना उचित होगा।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पक्षकारान अधिवक्ता को सुना। मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2069–2072 खाता सं. 232 आराजी खसरा नम्बर 932/0.32 किस्म सैराबी दौलतराम पुत्र भिक्कन जाति कलार सा. पाई खातेदार दर्ज रिकार्ड है एवं खाता संख्या 567 पर आराजी खसरा नम्बर 933/0.29 किस्म बारानी प्रथम शिवचरन पुत्र भिक्कन जाति कलार सा.पाई खातेदार दर्ज रिकार्ड है भू. प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रार्थी के पूर्व के साविक खसरा नम्बर 932 का नया नम्बर 2633/1050 रकवा 0.32 हैक्टर बनाया गया एवं अप्रार्थी नं0 1 के पूर्व के साविक खसरा नम्बर 933 का नया नम्बर 1029/ रकवा 0.22 हैक्टर बनाया गया एव अप्रार्थी नं0 1 के पूर्व के साविक खसरा नम्बर 933 का नया नम्बर 1029/0.22 बनाकर जाकर हाल नये नम्बरान का जो नजरी नक्शा बनाया गया है । वह कतई गलत पूर्व साबिक खसरा 932 व 933 के (पुराने) नक्शा एवं प्रार्थी नं0 1 के पुराने व हाल कब्जा के विपरीत जाकर बनाया गया है । प्रतिवादी नं0 1 शिवचरण पुत्र भिक्कन दिनांक 14.12.2023 को न्यायालय में उपस्थित हुए और किसी प्रकार प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं किया । तहसीलदार जुरहरा से प्राप्त रिपोर्ट में भी शुद्धि करने हेतु सहमति दर्शाई गई है।

मौका अनुसार व गत रिकार्ड अनुसार प्रार्थी दौलतराम पुत्र भिक्कन जाति कलार सा. पाई को पश्चिम दिशा में आराजी खसरा न. 2633/1030/0.32 तथा शिवचरन पुत्र भिक्कन जाति कलार सा.पाई का आराजी खसरा नम्बर 2634/1030/0.07 तथा 1029/0.22 किता 2 रकबा 0.29 पूर्व दिशा मे शुद्ध किया जाना उचित होगा।

आ दे श

अतः प्राथीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 136 भू अभिलेख अधिनियम को स्वीकार किया जाता है मौका अनुसार व गत रिकार्ड अनुसार प्रार्थी दौलतराम पुत्र भिक्कन जाति कलार सा.पाई को पश्चित दिशा में आराजी खसरा न. 2633/1030/0.32 तथा शिवचरन पुत्र भिक्कन जाति कलार सा.पाई का आराजी खसरा नम्बर 2634/1030/0.07 तथा 1029/0.22 किता 2 रकबा 0.29 पूर्व दिशा मे शुद्ध किया जाता है । प्रकरण नम्बर से कम किया जाकर वाद तकमील तामील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.5.2024 को खुले न्यायालय पढकर सुनाया गया।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी कामाँ (डीग)

(सुनील कुमार झिंगोनिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, कामाँ
(डीग)

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज०